

राजस्थान स

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कोलायत
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प

244
30/3/2019 :- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू. अ. नि. दंडों की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला की जमावन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	खिनावा कुळलिपाठ	55	शैलानसिंह रामसिंह लखनसिंह फि० राणसिंह 150-16 बीघा गुमानसिंह भगुसिंह फि० रावसिंह 88-10 बीघा जीकरासिंह मल मोहम्मदसिंह 102-02 बीघा कैम्प राजपूत सा. देह खोलेदा	शैलानसिंह रामसिंह लखनसिंह गुमानसिंह भगुसिंह फि० राणसिंह 11053 हि० बहिव जीकरासिंह 16154 पुत्र मोहम्मदसिंह 5101 हि० 16154 कैम्प राजपूत सा. देह खोलेदा

वानी खोला इन्द्र बदनूर

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर

दिनांक :-

क्रमांक :-

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन न्यायाधीश
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर